

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
विनोद कुमार
उनवान सरकार बनाम ... रामेश्वर ...

मुकदमा नं० 10/49..... निर्णय दि०.....

पेश करते हुये आदि रिक्त स्थान की मद सं. 2 में वादी सं. 1 व 2 द्वारा दि. 7.11.2020 तकसमा करा लेने व वादी सं. 1 व 2 की ओर से दावा नोट पेस होने के बावजूद वाद कायमन खारिज नहीं होने का स्थान किया।

दौरान कलम अपधी वादी के आधीकता हेमराज शुर्जर के तर्फ किया कि OTRII के आधार के तीन ~~का~~ group में से किसी की भी पार्थना पर OTRII cover नहीं करता है। उभय पक्ष की कलम के लक्ष्यों पर गौर किया गया।

OTRII के आधारों में प्रथम आ आधार Cause of Action Article नहीं होने बावत है।

प्रश्नगत वाद में दि. 18.11.20 की OTRII पार्थना पर पेश किया गया तथा दि. 27.11.20 की वादी सं. 1 व 2 प्रमथा: विनोद व रामेश्वर द्वारा Not press करते हुये अपना वाद वापस ले लिया।

प्रश्नगत वाद सहकारियों के विरुद्ध समुंस्त कृषि भूमी के विभाजन बावत है। जिसमें प्रत्येक cotenant का वादी अधवा प्रतिवादी के रूप में दावे का अंग बनाना आवश्यक है।

दि. 7.1.20 की वादी सं. 1 व 2 की हद तक वाद का खारिज किया गया है लेकिन उन्हे तरलीकी प्रतिवादी शेष वादीगण की ओर से नहीं बनाया गया है। इसके अलावा दि. 1.2.19 की वाद पेश करते समय वादी सं. 1 व 2 द्वारा अपने द्वारा क्याम की गयी भूमी के वध्व की सर्वदा हुआ है।

वादीगण का वाद तकसमा बावत प्रस्तुत किया है। जिसमें समस्त समुंस्त खातेधारों की पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण विभाजन वाद चलने योग्य नहीं है। अतः वाद वादीगण 53,88 RTA के तहत Cause of Action Article नहीं होने के कारण, पार्थना पर OTRII स्वीकार किया जाय, वाद वादीगण खारिज किया जाता है।

वादीगण की ओर से प्रश्नगत वाद के साथ अन्य वाद

(Signature)
8-1-21

—लगातार—

जयराज साहू
निवासे विजय-नगर

फर्द अहकाम

(नियम 28)

लत 34 खंड अधिका (सिकराय)

सरकार बनाम विनोद / शिवराम

कदमा 599 मु० नं० 46/02 10/19

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जन

नंबर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

सू. नं. 92/13 (कतों विस विनोद) व सू. नं. 131/13 (पितृमृत
विनोद) की प्रत्येक एक multiplicity of suits
में कक्षा दिया गया है।
वादीमों के वादों की समुचित खातेदार के रूप में
संयोजित करते हुए पुनः वसूली/ बोधनात्मक
वाद लाने हेतु स्वयं हैं।
निर्णय आज दि. 8.1.21 को रजिस्ट्रार के कार्यालय
में सुनाया गया।

(Signature)
जि. नं. 131/13
सिकराय जिल्ला-दोसा